



Australian Government

Department of Home Affairs

पंजीकृत माईग्रेशन एजेंट का उपयोग करने के लिए सुझाव

OMARA क्या है ?

OMARA (Office of the Migration Agents Registration Authority), आप्रवासन विभाग Department of Home Affairs (the Department). का हिस्सा है। OMARA नियामक संगठन है जो यह सुनिश्चित करता है कि केवल सही व योग्य व्यक्ति ही पंजीकृत माईग्रेशन एजेंटों के काम के लिए स्वीकृत होते हैं व यह एजेंटों के खिलाफ़ की गई शिकायतों की जाँच-पड़ताल करता है।

माईग्रेशन एजेंट चुनना

- सभी पंजीकृत माईग्रेशन एजेंटों का एक विशिष्ट माईग्रेशन एजेंट पंजीकरण नम्बर होता है, या MARN (*Migration Agents Registration Number*) |
- आप OMARA की वेबसाइट पर किसी व्यक्ति के MARN की खोज कर के यह जान सकते हैं कि वह व्यक्ति पंजीकृत है या नहीं।
- **कोई व्यक्ति यह गारंटी नहीं दे सकता कि आपको वीज़ा मिल जाएगा – चाहे वह व्यक्ति पंजीकृत माईग्रेशन एजेंट हो।**
- जब तक कोई इससे मुक्त न हो, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी व्यक्ति का आप्रवासन सलाह देना गैरक़ानूनी है, यदि वह OMARA के साथ पंजीकृत नहीं है। इससे मुक्त व्यक्तियों की सूची फ़ॉर्म 956 में मिल सकती है।

माईग्रेशन एजेंट का उपयोग करने के लिए सुझाव व संकेत

आपके एजेंट के लिए अनिवार्य है कि वह:

- जब वह आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो वह आपको *उपभोक्ता मार्गदर्शिका (Consumer Guide)* की एक कॉपी दे। आप इसकी कॉपी OMARA की वेबसाइट से भी ले सकते हैं।
- इससे पहले कि आप कोई पैसा दें, आपको *सेवाओं का ब्योरा (Statement of Services)* दे, यह उनकी जिन सेवाओं के लिए आपको उन्हें पैसा देना होगा, उसकी सूची है।
- जो भी क़ागज़ात आपके हैं उन्हें आपके माँगने के बाद 7 दिन के अन्दर वापस करना।
- आपके आवेदन पत्र से सम्बन्धित आपसे व the Department से हुए हर संपर्क का रिकॉर्ड रखना।

जो आपको करना चाहिए:

- अपने मूल क़ागज़ातों, जैसे कि पासपोर्ट व जन्म प्रमाण-पत्र को अपने पास रखना। अधिकाँश क़ागज़ात जो the

Department को चाहिए, वे प्रमाणित प्रतिलिपियों के रूप में दिए जा सकते हैं।

- अपनी सभी बात-चीत व एजेंट को दिए गए निर्देशों की लिखित रूप में पुष्टि करना। जो भी जानकारी आप the Department को देते हैं उसके लिए आप ज़िम्मेदार है – चाहे फ़ॉर्म किसी और ने भरा हो।
- इसको समझना कि एजेंट की फ़ीस में कौनसी सेवाएँ शामिल हैं। एजेंट की औसतन फ़ीसों की सूची OMARA की वेबसाइट पर मिल सकती है।

अपने माईग्रेशन एजेंट से संबंधित चिंताएँ

- यदि आपको सलाह चाहिए तो OMARA से संपर्क करें।
- **शिकायत करने से आपके वीज़ा के आवेदन-पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा।**
- ऑस्ट्रेलिया में जो व्यक्ति पंजीकृत न होते हुए आप्रवासन सहायता देते हैं उनकी सूचना विभाग को 1800 009 623 पर देनी चाहिए।
- यदि आप अपने माईग्रेशन एजेंट का उपयोग आगे नहीं करना चाहते हैं तो the Department को बताने के लिए फ़ॉर्म 956 के भाग B व C को पूरा करें।

कोई व्यक्ति पंजीकृत है या नहीं जानने के लिए www.mara.gov.au पर देखें

अधिक जानकारी

Office of the Migration Agents Registration Authority:
www.mara.gov.au या
फ़ोन: 1300 226 272

Department of Home Affairs:
www.homeaffairs.gov.au या
फ़ोन: 131 881

दुभाषण से बात करने के लिए अनुवाद व दुभाषिया सेवा (TIS) को 131 450 पर फ़ोन करें।